सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

ई-पेपर

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

वर्ष 43 अंक-5 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 22-29 जनवरी 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या बीवरेज कारपोरेशन प्रकरण की जांच हो पायेगी- उठने लगे हैं सवाल

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने धर्मशाला में विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद हुई मन्त्रिमण्डल की पहली ही बैठक में प्रदेश की आबकारी नीति में बदलाव करने का फैसला लेते हुए बीवरेज कारपोरेशन को पहली अप्रैल से भंग करने के आदेश जारी किये हैं। इस कारपोरेशन को भंग करने के साथ ही इसमें हुए घपले की जांच किये जाने की भी घोषणा की थी। स्मरणीय है कि भाजपा ने अपने आरोप पत्र में निगम में 50 करोड़ का घपला होने का आरोप लगाया हुआ है आबकारी प्रदेश के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इस नाते इसमें हो रहे राजस्व के नुकसान को लेकर चिन्ता किया जाना स्वभाविक है। गौरतलब है कि हर वर्ष शराब के ठेकों की मार्च माह नीलामी होती थी। लेकिन वीरभद्र सरकार ने इस नीलामी प्रक्रिया के स्थान पर शराब का सारा कारोबार कारपोरेशन के माध्यम से करने का फैसला लिया। इस फैसले के तहत एक बीवरेज कारपोरेशन का गठन किया गया। इसमें यह महत्वपूर्ण रहा है कि आबकारी नीति को लेकर विभाग की ओर से ऐजैण्डा मन्त्री परिषद् में लाया गया था। उसमें ऐसी कारपोरेशन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नही था लेकिन जब मन्त्री परिषद् की बैठक में यह सामने आया कि अब तक किन्नौर, चम्बा और ऊना के ठेकों की नीलामी नही हो पायी है और इस कारण 54 करोड़ का नुकसान हो गया है। राजस्व का यह नुकसान पिछली सरकार द्वारा एल-1 डी और एल-13 डी को लेकर जो नीति अपनाई थी उसके कारण हुआ है। इस खुलासे के बाद मन्त्री परिषद् ने बैठक में ही नीलामी प्रक्रिया के स्थान पर कारपोरेशन बनाने का फैसला लिया। कारपोरेशन के गठन के बाद इसमें एक ब्लू लाईन कंपनी भी बीच में आ गयी।

बीवरेज कारपोरेशन के गठन के बाद इसमें अलग से एमडी और चेयरमैन नियुक्त नही किये गये बल्कि आबकारी विभाग के कमीशनर को ही एमडी की जिम्मेदारी भी दे दी गयी और सचिव आबकारी को इसका चेयरमैन बना दिया गया। इस तरह यह एक ऐसा कारपोरेशन बन गया जिसका सारा प्रबन्धन इन अधिकारियों के हाथ में ही रहा।

कारपोरेशन को लेकर इसके सीए की जो रिपोर्ट आयी है उसमें करीब 12 करोड की ऐसी उधार का भी खुलासा है जो लगभग डूब ही चुका है। कारपोरेशन बनने के बाद इसमें ब्लू लाईन की एन्ट्री कैसे हो गयी? इसके माध्यम से कितना कारोबार किया गया और इसके संचालक कौन लोग रहे हैं। इसको लेकर विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नही है विभाग को कारपोरेशन बनने और इसमें ब्लू लाईन के आने से कितना नुकसान हुआ है इस पर भी विभाग एकदम खामोश रह रहा है। विभाग में राजस्व का जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन तो जांच से ही लगाया जा सकता है और ऐसी जांच केवल विजिलैन्स ही कर सकती है। मुख्यमन्त्री ने इस जांच का संकल्प अपने पूर्ण राज्यत्व दिवस के संबोधन में भी दोहराया है।

लेकिन मन्त्रीमण्डल के फैसले और फिर मुख्यमन्त्री के हिमाचल दिवस समारोह पर आये संबोधन में भी यह जांच करवाये जाने का जिक्र आने के बावजूद अभी तक संवद्ध प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई कदम नही उठाये गये हैं। चर्चा है कि यदि यह जांच होती है तो इसकी लपेट में निगम के एमडी और इसके चेयरमैन रहे अधिकारी आयेंगे ही। इस निगम के एमडी पुष्पेन्द्र राजपूत रहे हैं और चेयरमैन डा. बाल्दी, पीसी धीमान, तरूण कपूर और ओंकार शर्मा सभी अधिकारी रहे हैं। इनमें से किसकी क्या भूमिका और कितनी जिम्मेदारी रही है। यह पता केवल जांच से ही चलेगा। परन्तु यह चर्चा भी साथ ही चल पड़ी है कि यह सब अधिकारी इतने ताकतवर हैं कि यह किसी भी जांच को चलने से पहले ही दबा देंगे। माना जा रहा है कि मन्त्रीमण्डल के फैसले और मुख्यमन्त्री की घोषणा का अंजाम वैसा ही होगा जो वीरभद्र शासन में एचपीसीए की जांच का हुआ। क्योंकि जो अधिकारी उस सरकार को चला रह थे वह स्वयं इस प्रकरण में आये चालान में खाना 12 में अभियुक्त नामज़द रहे हैं। इस परिदृश्य में बीवरेज कारपोरेशन मामलें की जांच जयराम सरकार की पहली परीक्षा बनने जा रही है।

क्या एचपीसीए के मामले वापिस हो पायेंगे

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने सत्ता संभालने के बाद यह ऐलान किया था कि वीरभद्र शासन में राजनीतिक प्रतिशोध की नीयत से बनाये गये आपराधिक मामले तुरन्त वापिस लिये जायेंगे। इस संद्धर्भ में एचपीसीए के खिलाफ बनाये गये मामलों का विशेष रूप से जिक्र किया गया था। सरकार का यह ऐलान दस तारीख को धर्मशाला में हुई मन्त्रीमण्डल की बैठक के बाद सामने आया था, लेकिन इसके बाद जब एचपीसीए के खिलाफ बनाया गया पहला ही मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिये आया तब वहां यह सवाल उठा कि क्या मामले वापिस लिये जा रहे हैं क्योंकि अब तो प्रदेश में भाजपा की ही सरकार सत्ता में है। इस सवाल के उठने के बाद मामले में प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता से जब पूछा गया तो उन्होने स्पष्ट कहा कि अभी तक उन्हें ऐसी कोई हिदायत नही है। महाधिवक्ता को अबतक ऐसी हिदायत होने को लेकर इस संद्धर्भ में कई तरह की चर्चाएं उठनी शुरू हो गयी हैं।

स्मरणीय है कि एचपीसीए के खिलाफ बने पहले ही मामले में अनुराग ठाकुर एचपीसीए के पदाधिकारियों सहित पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सनान और कई अन्य अधिकारी बतौर अभियुक्त नामज़द हैं। इनके अतिरिक्त वीरभद्र के प्रधान सचिव रहे टीजी नेगी और प्रधान नीजि सचिव रहे सुभाष आहलूवालिया भी इसमें खाना 12 में अभियुक्त नामज़द है। खाना 12 में रखे गये अभियुक्तों को अदालत जब चाहे मुख्य अभियुक्तों में शामिल कर सकती है क्योंकि अदालत में आये चालान में इसका विस्तार से खुलासा किया गया है कि पूरे मामले में इनकी भूमिका क्या रही है। चालान में इन अधिकारियों के खिलाफ यह आरोप है कि इन्होने एचपीसीए द्वारा ज़मीन की मांग किये जाने से एक सप्ताह पहले ही मन्त्री परिषद् को सही स्थिति न बताकर एचपीसीए के पक्ष में जमीन का आंवटन करवा दिया। यही नहीं एचपीसीए का यह भी आवेदन नही रहा है कि ज़मीन की लीज़ की दर एक रूपया की जाये। एक रूपया लीज़ रेट करने का फैंसला सुभाष आहलूवालिया का बैतार निदेशक रहा है। यह आरोप अपने में गंभीर है। फिर एच पी सी ए को जो ज़मीन दी गयी है वह विलेज कॉमन लैण्ड है। सर्वोच्च न्यायालय ने जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में मामले में दिये फैंसले में विलेज़ कॉमन लैण्डके इस तरह के आबंटन पर पूरे देश में तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया है। राज्यों के मुख्य सचिवों को इस फैसले पर अमल करने के निर्देश देते हुये उनसे अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की गयी है। एचपीसीए के प्रकरण में तो अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व पर आरोप ही यह है कि उन्होने इस ज़मीन के ट्रांसफर का फैसला भी अपने ही स्तर पर ले लिया जबकि वह इसके लिये अधिकृत नहीं थे। इस पर फैसले का अधिकार केवल मन्त्रिपरिषद् को था।

इस मामले का चालान जब धर्मशाला कोर्ट में दायर हुआ और उसके बाद जब इसपर संज्ञान लिये जाने की प्रक्रिया शुरू हुई तब इसे प्रदेश उच्च न्यायालय में एचपीसीए ने चुनौती दे दी। लेकिन उच्च न्यायालय ने एचपीसीए की याचिका अस्वीकार करते हुए इसपर संज्ञान लिये जाने को हरी झण्डी दे दी। लेकिन उच्च न्यायालय में हारने के बाद एचपीसीए इसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील में चली गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर ट्रायल स्टे कर दिया। उसके बाद से अब तक यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है। इस मामले के सारे तथ्यों की जानकारी रखने वालों का मानना है कि इसमें जितने भी अधिकारियों की भूमिका रही है उन्होने सरकार और मुख्यमन्त्री को इसमें निश्चित तौर पर गुमराह किया है। लेकिन अब जब प्रदेश उच्च न्यायालय इसको संज्ञान योग्य मान चुका है तो क्या सरकार इसको आसानी से वापिस ले पायेगी। क्योंकि किसी मामले को वापिस लेने के लिये उसमें यह आधार बनाना पड़ता है कि उपलब्ध तथ्यों के मुताबिक मामला नही बनता है और ऐसा तभी संभव है जब इसमें किसी कारण से पुनः जांच किये जाने की नौबत आ जाये। वैसे अभी तक आर सीएस की ओर से यह नहीं आया है कि एचपीसीए सोसायटी है या कंपनी क्योंकि जब एचपीसीए ने इसे सोसायटी से कंपनी बनाये जाने का आग्रह आरसीएस से किया था तब विभाग इस आग्रह पर लगभग एक वर्ष तक खामोश बैठा रहा था। जबकि इस आग्रह को तुरन्त प्रभाव से स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिये था क्योंकि बहुत संभव है कि यदि यह आग्रह तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार हो जाता है तो एचपीसीए इसे कंपनी बनाती ही ना। इस समय प्रदेश की राजनीति में एचपीसीए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। जो वीरभद्र इस मामले में अपने शासनकाल में कुछ नही कर पाया अब वह इस मामले को वापिस लिये जाने का विरोध कर रहा है। जयराम सरकार इसमें क्या और कैसे करती है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई है।

पूर्ण राज्यत्व पर कर्मचारियों को मिली 8 प्रतिशत की अन्तरिम राहत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू जिला के आनी में 48वें राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों और पैंशनरों को एक जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान करने की घोषणा की। इस घोषणा से कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपये के लाभ प्राप्त होंगे।

मुख्यमन्त्री ने स्टॉफ के सृजन सहित 50 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल आनी को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने सराहन-बथाड़ वाया बाशलियों पास को जिले की मुख्य सड़क की घोषणा की और कहा कि इसके शीघ्र निर्माण की संभावना का पता लगाया जाएगा। 40 किलोमीटर लम्बी यह सड़क पूरी होने पर निरमण्ड खण्ड की 26 ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालय कुल्लू से जोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलोड़ी दर्रा के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को 6 माह के भीतर 1410 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

उन्होंने हि.प्र. लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह आनी में छः अतिरिक्त कमरों के निर्माण की भी घोषणा की, जिसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नित्थर की अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई पुलिस चौकी में परिवर्तित करने की भी घोषणा की।

ठाकुर ने आनी में हिमाचल पथ परिवहन निगम का उप-डिपो खोलने, आनी स्टेडियम के लिए 80 लाख रुपये, लुहरी बस अड्डा के लिए 3 करोड़ रुपये इक्को पर्यटन परियोजना के अन्तर्गत पनेऊ विश्राम गृह के लिए 20 लाख रुपये तथा पनेऊ सड़क को चौड़ा करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक-आर्थिक न्याय और स्वाबलम्बन सहित सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है।

मुख्यमंत्री ने 25 अनारक्षित हवाई अड्डों और 31 अनारक्षित हैलीपैड़ को जोड़ने वाली भारत सरकार के नागरिक उड्यन मंत्रालय की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना 'उडान' शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के उपरान्त अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ पर्वतीय राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और वह हिमाचल प्रदेश को उड़ान योजना में शामिल करने के लिए नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। इस योजना से सड़क मार्ग से यात्रा समय में बचत के अलावा निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 'मुझे सड़क तथा हवाई कनेक्टिविटी दोनों में सुधार करने की चिन्ता है' और केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से हिमाचल जैसा छोटा राज्य बेहतर ढंग से सैलानियों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा।

योजना के अन्तर्गत लोगों को विभिन्न गन्तव्यों के लिये सस्ती दरों पर हैलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये सेवाऐं कसौली से शिमला, मनाली से कुल्लू, मण्डी से धर्मशाला, कुल्लू और शिमला, नाथपा-झाकड़ी से रामपुर के लिए, रामपुर से नाथपा-झाकड़ी तथा शिमला और शिमला से कसौली, मण्डी और रामपुर के लिए प्रदान की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने की यह सुविधा प्रधानमंत्री

से किए गए आग्रह से संभव हो पाई है, जो बड़े पैमाने पर पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी।

योजना के तहत हवाई जहाज से एक घण्टे की उड़ान अथवा हैलीकॉप्टर से तीस मिनट की यात्रा के लिए प्रति सीट 2500 रुपये का भुगतान करना होगा। योजना के अन्तर्गत अभी तक 19 राज्यों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में सड़कें ग्रामीण आर्थिकी व विकास की भाग्य रेखाएं मानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सड़क निर्माण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता देगी। प्रदेश सरकार सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सड़क रख-रखाव नीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 69 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत किए हैं, जिसके लिए वह केन्द्र सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण होगा।

सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से प्रदेश से भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहयोग देने का आग्रह किया ताकि समाज से भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार जैसे वन माफिया, खनन माफिया तथा नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त किसी भी गतिविधि को सहन नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यभार सम्भालने के पहले ही दिन प्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017' को सरकार का नीति दस्तावेज बनाने का अहम निर्णय लिया। सभी विभागों को अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों का 100 दिन का 'रोड़-मैप' तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस एक माह की छोटी सी अवधि में राज्य सरकार ने आम आदमी की बेहतरी के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि पूर्व सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तथा विकास की गति में कमी आई। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप प्रदेश पर 46 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज है। उन्होंने कहा कि अतः राज्य सरकार का सबसे पहला काम प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना तथा लोगों में सरकार के प्रति विश्वास को पुनः कायम करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शीघ्र ही प्रदेश को विकट वित्तीय संकट से उभारने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस छोटी-सी अवधि में लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना किसी आय सीमा के वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है, जिससे हजारों वृद्धजन लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी सरकारी की रीढ़ हैं तथा इसी के दृष्टिगत उन्हें जुलाई, 2017 से 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता जारी किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वह प्रदेश के बिलासपुर जिले के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु 1351 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्कृष्ट संस्थान राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊना जिले के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पीजीआई चण्डीगढ़ का सैटेलाईट केन्द्र तथा मातृ-शिशु देखभाल केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृह रक्षकों, एनएनसी कैडेट और स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली।

श्री नैणा देवी के पुलिस उप अधीक्षक अनिल शर्मा ने परेड की अगुवाई की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उपायुक्त कुल्लू यूनुस खान ने जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 लाख रुपये का चैक भेंट किया। इस अवसर पर भाजपा मण्डल आनी ने भी मुख्यमंत्री को 2.51 लाख रुपये का चेक भेंट किया गया।

इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए सांस्कृतिक दलों तथा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा एक भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों, विशेष रूप से वन, डीआरडीए, भाषा कला एवं संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य, बागवानी व कौशल विकास द्वारा विकास को दर्शाती झांकियां भी आकर्षण का केन्द्र रहीं।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Sealed items rate tender are hereby invited by the Executive Engineer, Shimla Rural Division , H.P.P.W.D, Dhami, on behalf of the Governor of Himachal Pradesh, on the prescribed form, from the eligible and experienced contractors/firms of appropriate class enlisted with Himachal Pradesh Public Works Department.

Sr. No. Tender Schedule	Date
1. The last date of receipt of application for tender form.	Upto 19-02-2018 at 4.00 PM
2. The last date of issue of tender form	Upto 20-02-2018 at 4.00 PM
3. The last date of receipt of tender.	Upto 21-02-2018 at 10.30 AM
4. The last date of opening of tender.	Upto 21-02-2018 at 11.00 AM

The tender form can be obtained against payment of Rs. 350/- (Rs Three hundred and fifty) only (non refundable) and contractor will be required to produce documents of registration in appropriate class , list of completed works and sale tax registration certificate. The tenders shall be opened in the presence of contractors or their representative.

The earnest money in the shape of National Saving Certificate /Time Deposit Accounts / FDR of Nationalized bank duly pledged in the favour of the Executive Engineer, Shimla Rural Division, H.P.P.W.D., Dhami , must accompany with the application form for the tender offer. The tender received without earnest money for each work in the prescribed mode and so also the conditional / telegraphic / ambiguous tender shall not be entertained and the Executive Engineer, reserves the right to reject the conditional / telegraphic / ambiguous tender without assigning any reason thereto. Also tender sent by Fax / e-mail shall not be entertained /considered and will summarily be rejected.

The request for issue of tender should be on the PRESCRIBED APPLICATION which can be obtained from the office of undersigned on the above mentioned date and time and tender will be issued only to those contractors who qualify the criteria , after the scrutiny of application form. The request on prescribed application should accompany the registration of appropriate class, (attested copy be attached) GST, registration No , and work done certificate for similar nature of work and proof of registration under Employees Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952.

The validity of tender have been given in the tender document. If any contractor / firm withdraw the offer within validity period then his earnest money shall be forfeited and shall finally be at the disposal of State Government. The contractor is advised to write the rates both in figures and in words, failing which the tender shall be rejected straight way.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Cost of Form
	Restoration of ran damages on Ghanhatti Nalhatti road km. 0/00 to 8/00 (SH:- C/o R/Wall alongwith Toe Wall at RD. 0/135 to 0/145 and 0/147 to 0/157)	Rs. 4,37,579/-	Rs. 9,000/-	Three Months	350/-

Adv. No.-3621/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

बड़ी धूमधाम से मनाया गया भुतपूर्व सैनिक लीग अर्की द्वारा 69 वाँ गणतंत्र दिवस समारोह

शिमला/अर्की। भुतपूर्व सैनिक लीग अर्की इकाई ने अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बातल में 69 वाँ गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया। समारोह में वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री एवम वर्तमान विधायक अर्की ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। समारोह का शुभारंभ मुख्यातिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज आरोहन व स्थानीय विद्यालय के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गीत व वन्देमातरम से हुआ। इसके बाद उपस्थित मुख्यथिति व जन समूह ने देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि दी। फिर सैनिक लीग के पदाधिकारियों द्वारा वीरभद्र सिंह व साथ आये वर्तमान एवम निवर्तमान विधायकों व पदाधिकारियों का शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एवम विधायक अर्की द्वारा उपस्थित जन समूह व भूतपूर्व सैनिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आजाद देश की खुली हवा में शहीदों के कारण ही सांस ले रहे है आज का दिन महान है यह दिन सभी को याद रखना व धूमधाम से मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्की की जनता ने उन्हें जीता कर विधायक के रूप में अर्की क्षेत्र की सेवा का मौका दिया है, तथा वह अपने कार्य काल मे अर्की के विकास को नई दिशा देंगे। विकास कार्यो में तेजी लाई जाएगी। उनकी सोच हिमाचल प्रदेश को एक तरक्की,

विकासशील व शक्तिशाली प्रदेश बनाना रहा व आज हिमाचल देश के अन्य बड़े बड़े राज्यो में प्रथम श्रेणी में खड़ा है, और इस उपलब्धि के लिए हिमाचल की जनता व केंद्र सरकार धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश का विकासशील होना उस राज्य के लड़के व लड़कियों का शिक्षा का स्तर दर्शाता है जैसे कि हिमाचल शिक्षा मे नम्बर एक पर है और जिस समाज मे लड़कियां शिक्षित है वहाँ विकास होता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पांच मेडिकल कॉलेज हैं और बिलासपुर में केंद्र की मदद से एम्स का निर्माण होने जा रहा है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा पिछले दिनों रखी गई है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपने विधायक कार्यकाल मे अर्की की अधिकांश समस्याओं का विपक्ष में रहते हुए भी समाधान करेंगे। इससे पूर्व उन्होंने भूतपूर्व सैनिक लीग अर्की इकाई के द्वारा सीएसडी भवन व सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी एवम निर्माण में लगने वाली सम्पूर्ण राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर स्थानीय राजकीय उच्च विद्यालय बातल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पर उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से पन्द्रह हजार रुपये देने की घोषणा की।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक वीरभद्र सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों व वीरनारियों को सम्मानित भी किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

प्रदेश के गणतन्त्र दिवस पर 461 कैदियों को मिली मुआफी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 2018 के अवसर पर बन्दियों के अच्छे आचरण एवं व्यवहार पर प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सजा काट रहे बन्दियों को निम्नानुसार विशेष मुआफी की घोषणा की है। जिन कैदियों को यह मुआफी मिलेगी उनके पांच वर्ग बनाये गये हैं।

1. आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट कैदियों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे कैदियों को जिन्हें 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है।
2. पांच वर्षों से अधिक और दस वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी।
3. तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी।
4. एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी।
5. तीन मास से अधिक और एक वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी।

सरकार द्वारा दी गई मुआफी से प्रदेश की विभिन्न कारागारों में बन्द लगभग 461 बन्दी लाभान्वित होंगे जिसमें 02 बन्दी सजा पूरी होने के परिणास्वरूप तत्काल 26 जनवरी 2018 को रिहा हो गये। इस अवसर पर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बन्द इन कैदियों को मिली है यह मुआफी

COMPILATION OF SHEET OF SPECIAL REMISSION ON OCCATION OF 26 th JANUARY, 2018

Sr. No.	Name of Jails	Total Number of convicts	Not eligible	eligible for remission	Number of Priosoners benefited	Number of Priosoners released
1.	Kanda	237	104	133	133	0
2.	Nahan	374	227	147	147	0
3.	Dharamashala	133	48	85	84	1
4.	Chamba	62	52	10	10	0
5.	Bilaspur	50	4	46	46	0
6.	Hamirpur	5	0	5	4	1
7.	Una	6	3	3	3	0
8.	Solan	11	0	11	11	0
9.	Kaithu	21	7	14	14	0
10.	Kullu	0	0	0	0	0
11.	Mandi	21	14	7	7	0
12.	Nurpur	2	0	2	2	0
	Total	922	459	463	461	2

पुलिस को जनता में अपना विश्वास बहाल करना होगा-मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य गृह विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस अधिनियम 1985 के तहत सजा की दर में कमी पर कारण बताने को कहा। उन्होंने राज्य में नशाखोरी और खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के समक्ष पारम्परिक और मनोचिकित्सक प्रकार की नशीली दवाएं एक गंभीर चुनौती है और ड्रग माफिया से निपटने के लिये एक ठोस योजना की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी छवि को पुनस्थापित और पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। राज्य में पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान बलात्कार और हत्या के कुछ मामलों के बाद जिस तरह मामलों से निपटने की कोशिश की गई उससे पुलिस की छवि बुरी तरह खराब हुई। उन्हांने कहा कि अब शासन में बदलाव के साथ लोगों को नई सरकार और पुलिस से काफी उम्मीदें हैं और पुलिस को अपनी सामुदायिक योजनाओं का खोया विश्वास पुन: अर्जित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को पुलिस की मदद लेने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पुलिस द्वारा अनुकूल प्रयासों को शुरू करने की आवश्यकता है।

राज्य में दुर्घटनाओं के कारण मौतों में हो रही वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़े यातायात नियमों के लिये एक योजना तैयार की जानी चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय उच्च मार्गों और कुछ अन्य स्थानों पर इंटरसैप्शन वाहनों की तैनाती की जा सकती है, लेकिन नशे की हालत और मोबाईल सुनते वक्त वाहन चलाने पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को इन मुद्दों पर सख्त होना चाहिए और यह सुनिश्चित बनाना होगा कि लोग यातायात नियमों का पालन करें।

महिला सुरक्षा समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के दृष्टिगत 27 जनवरी, 2018 को 'गुड़िया हैल्पलाईन' और 'शक्ति बटन मोबाईल एप्प' का शुभारंभ किया जाएगा। मोबाइल को डिस्कनेक्ट न होना शेक-अप प्रणाली ऐप की एक अनूठी विशेषता होगी।

मुख्यमंत्री ने होशियार सिंह हेल्पलाइन की शुरूआत करने की दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपातकाल, एम्बुलेन्स, अग्निशमन व पुलिस सेवाओं के लिये टॉल फ्री नंबर 112 की शुरूआत करने वाला देश का पहला राज्य बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सेवा को क्रियाशील बनाने के लिये भारत सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं।

बैठक में अवगत करवाया गया कि 100 दिनों के लक्ष्य के तहत राज्य में पॉलीग्राफ परीक्षण शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। सभी अग्निशमन उपकरणों का परिचालन करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभागों को इस संबंध में आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाइड्रेंट्स के लिये अलग से पानी के कनेक्शन की आवश्यकता पड़े तो इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली के अतंर्गत सभी पुलिस स्टेशनों में मोबाइल टैबलेट उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला तथा पासपोर्ट सत्यापन प्रणाली की सुविधा प्रदान करने वाला दूसरा राज्य है।

यह भी निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की विद्यार्थी पुलिस कैडेट योजना के अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से प्रत्येक जिले से पांच और कुल 60 पाठशालाओं को शामिल किया जाएगा।

बाल अधिकारों/बाल यौन उत्पीड़न के प्रति 'चाईल्ड फ्रैंडली मूवमैंट' द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन

शिमला/अर्की। अर्की बाल अधिकारों तथा बाल यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूक करने हेतू बनाई गई सामाजिक संस्था चाईल्ड फ्रैंडली मूवमैंट द्वारा 1 फरवरी से तीन फरवरी 2018 तक राजकीय उच्च विद्यालय बातल में तीन दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक बासु राय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर के माध्यम से बच्चों को बाल अधिकार, यौन उत्पीड़न से बचने तथा अन्य बाल श्रम जैसे बच्चों से जुड़े मसलों के प्रति महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। उन्होने बताया कि उनकी संस्था वर्ष 2015 से इन विषयों पर कार्य कर रही है, तथा भारत के अलावा अन्य कई देशों में इन विषयों पर बच्चों को जागरूक किया जा चुका है। बासु ने बताया कि बातल में होने वाले इस तीन दिवसीय शिविर में इस संस्था के लिए कार्य करने वाले 13 स्वंयसेवी छात्र भी भाग ले रहे हैं, जोकि बच्चों को जागरूक करने के साथ-साथ अपने अनुभव भी उनके साथ सांझा करेंगे। उन्होने बताया कि वे इससे पूर्व भी 2001 में शिक्षा यात्रा तथा 2012 में बाल यौन शोषण के खिलाफ भारत यात्रा कर चुके हैं। उन्होने कहा कि उनकी संस्था 2015 से दिल्ली की मलिन बस्तियों के स्कूलों तथा दार्जिलिंग के स्कूलों में बाल श्रम, बाल यौन शोषण जैस बिंदुओं पर लगभग 50,000 बच्चों को जागरूक कर चुकी है।

महामहिम ने बढ़ाया हिमाचल का मान: अनुराग

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने 69 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचली टोपी पहन कर तिरंगे की सलामी लेने पर खुशी जताई है और इसे पूरे हिमाचल के लिए एक गौरवशाली क्षण बताया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा-जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायल दौरे पर हिमाचली टोपी पहन कर हिमाचल का मान अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया था, उसी तरह महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने 69 वें गणतंत्र दिवस पर हिमाचली टोपी में तिरंगे को सलामी देकर पूरे हिमाचल को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। राजपथ से पूरा भारत हिमाचल की इस गौरवगाथा का गवाह बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व महामहिम रामनाथ कोविंद का हिमाचल के प्रति ये स्नेह देखकर अभिभूत हूँ'।

उड़ान योजना से हिमाचल पर्यटन को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि पर्यटन को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आश्वस्त क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) के दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों को हवाई सम्पर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और वह हिमाचल प्रदेश को पहले ही चरण में उड़ान योजना के अन्तर्गत लाने के लिए प्रधानमंत्री के आभारी हैं और प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण में भी राज्य को योजना में शामिल करना सुनिश्चित किया है।

ठाकुर ने कहा कि लोगों द्वारा सड़कों के लिए की गई मांग को निश्चित तौर से आगामी बजट में शामिल किया जाएगा और उनके निर्माण व सुधार के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पांच स्थानीय सड़कों के लिए 24.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने भी इन पांच सड़कों क्रमश: गुम्मा से स्वारसा, शानन-अर्थी, पिटु नाला-गदुही सड़क, बालकपुरी से दराज बंगला और चौंतड़ा-टिक्करी मसेड़ा सड़क के लिए 10 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 11.18 करोड़ रुपये लागत की दो मुख्य सड़कों के शेष निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने मुलथान और बरोट के बीच निर्मित किए जाने वाले पैदल पुल के निर्माण की घोषणा की, जो कुछ वर्ष पहले बह गया था।

उन्होंने कहा कि 'मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभारी हूं, जिन्होंने यहां तक कि मेरे शपथ समारोह की तिथि तक निर्धारित की और बाद में मंत्रिमण्डल सहयोगियों तथा वरिष्ठ केन्द्रीय व राज्य नेताओं सहित शपथ समारोह में शामिल हुए'।

उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को लाभान्वित करने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने के लिए मेरी सरकार ने मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने बच्चों को पोलियो बूंदें पिलाकर राज्य में पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पांच वर्ष तक आयु के 6,44,036 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी और इसके लिए 5866 पोलियो बूथों की स्थापना की गई है। बच्चों को पोलियो खुराक सुनिश्चित बनाने के लिए लगभग 11,361 पोलियो टीमों को यह कार्य सौंपा गया है।

हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल ऑफ नर्सिंग के निदेशक राजेन्द्र मंडयाल ने मुख्यमंत्री को 51,000 रुपये का चेक, व्यापार मण्डल जोगिन्द्रनगर ने 11000 रुपये और भाजपा युवा मोर्चा सदस्य शक्ति राणा ने 5100 रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया।

भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र: धूमल

शिमला/शैल। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां पर हर छोटे से गरीब और बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति को वोट डालने का बराबर अधिकार प्राप्त है। भोरंज विधानसभा के दरब्बार में गवर्मेन्ट सीनियर सेकण्डरी स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रध्वज फहराने के पश्चात् उपस्थित जनसभा को सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यह बात कही। धूमल ने कहा की केंद्र में मोदी सरकार देश को विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर है। दुनिया के बड़े शक्तिशाली देश आज भारत के साथ खड़े हैं। विश्व के दस आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर विशेष अतिथि भारत आये हैं यह एक बड़ी बात है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वछता अभियान के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हिमाचल में इसकी शुरुआत भाजपा पूर्व प्रदेश सरकार में प्लास्टिक व पोलिथीन के लिफाफों पर बैन लगा कर की गयी थी। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता अभियान को बहुत अच्छा रिस्पोंस मिला है। उन्होंने कहा कि इसी तरह भाजपा की पूर्व प्रदेश सरकार में बिजली की बचत करने के लिए सीएफएल बल्ब बांटने शुरू किये थे उसी तर्ज पर अब केंद्र की तरफ से एलईडी बल्ब मिल रहे हैं।

धूमल ने इस अवसर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को प्रणाम किया। धूमल ने भारत के संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश को संविधान दिया है।

सभा के मध्य जो दूसरों के व्यक्तिगत दोष दिखाता है, वह स्वयं अपने दोष दिखाता है।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

सरकार का सत्ता में एक माह

जयराम सरकार को सत्ता में आये एक माह हो गया है और इसी माह में प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह भी संपन्न हुआ है। पूर्ण राज्यत्व के दिवस पर मुख्यमन्त्री ने अपनी सरकार के कुछ संकल्प दोहराये हैं इन संकल्पों पर सरकार कितना खरा उत्तर पाती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन इसी अवसर पर सरकार ने पिछली वीरभद्र सरकार पर वित्तिय कुप्रबन्धन का गंभीर आरोप भी लगाया है। इसी कुप्रबन्धन के परिणाम स्वरूप वर्तमान सरकार को 46500 करोड़ का कर्ज भी विरासत में मिला है यह आक्षेप भी मुख्यमन्त्री ने अपने संबोधन में लगाया है। इस कठिन वित्तिय स्थिति से बाहर निकलने के लिये प्रधानमन्त्री मोदी से प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की भी मांग की है। यह जानकारी भी मुख्यमन्त्री ने अपने राज्यत्व दिवस के संबोधन पर प्रदेश की जनता को दी है। मुख्यमन्त्री की यह मांग भी कितनी पूरी हो पाती है यह भी आने वाले समय में ही पता चलेगा।

इसी परिदृश्य में यदि सरकार के एक माह के कार्यकाल का आंकलन किया जाये तो जो महत्वपूर्ण बिन्दु उभर कर सामने आते हैं उनपर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। इसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख बिन्दु वित्तिय स्थिति का ही आ जाता है। मुख्यमन्त्री ने स्वयं पिछली सरकार पर वित्तिय कुप्रबन्धन का आरोप लगाया है। यह आरोप बेबुनियादी भी नही है क्योंकि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा तो मार्च 2016 में ही प्रदेश सरकार को एक कड़ा पत्र लिखकर यह बता दिया गया था कि राज्य सरकार की कर्ज लेने की अधिकतम सीमा क्या है और इसके उल्लंघन के परिणाम क्या हो सकते है। प्रदेश की वित्तिय स्थिति एफआरबीएम के तहत संचालित होती है और इसके अनुसार जीडीपी का कुल 3% ही कर्ज लिया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार जीडीपी का 42% कर्ज ले चुकी है और यह कर्ज सरकार की कुल राजस्व आय से 214% अधिक हो चुका है। यह खुलासा है सदन में रखी जा चुकी कैग रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के वित्त प्रबन्धन पर कुप्रबन्धन का आरोप लगना जायज ही है। लेकिन सवाल उठता है कि इस कुप्रबन्धन के लिये आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक नेतृत्व पर ही डालना जायज होगा?

क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व को सही स्थिति से अवगत करवाना तो संबधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। क्या वित्त सचिव के परामर्श को नज़रअन्दाज किया जा सकता है शायद नहीं। कुप्रबन्धन के आरोप से क्या सचिव वित्त बन सकते हैं शायद नहीं। ऐसे में जब स्वयं मुख्यमन्त्री वित्त के कुप्रबन्धन का आरोप लगा रहे हैं और फिर उसी अधिकारी को विभाग की जिम्मेदारी दिये हुए हैं तो यह दोनो बातें अन्ततः विरोधी हो जाती है और इस अन्तः विरोध का अर्थ या तो यह है कि कुप्रबन्धन का आरोप ही सिरे से गलत है या फिर अधिकारियों पर उसी कुप्रबन्धन को जारी रखने का दबाव हो जाता है। आज जितना कर्जभार प्रदेश का है यदि उसको लेकर यह सवाल उठाया जाये कि आखिर इतना बड़ा कर्ज लेकर किया क्या गया है। क्या इस कर्ज से ऐसे कोई संसाधन खड़े किये गये हैं जिनसे प्रदेश के लिये एक स्थायी आय के साधन बन पाये हैं जिससे इस कर्जभार से मुक्त हुआ जा सकेगा तो शायद इसका उत्तर नही में होगा। क्योंकि मूलतः यह कर्जभार तब बढ़ता है जब वोट की राजनीति के चलते चुनाव घोषणा पत्रों में ऐसे लोकलुभावन अव्यवहारिक वायदे कर दिये जाते हैं जिन्हें पूरा करने के लिये कर्ज लेना ही एक मात्र उपाय रह जाता है।

आज जब मुख्यमन्त्री राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेश के नाम अपने पहले संबोधन वित्तिय कुप्रबन्धन को स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस कुप्रबन्धन को सुधारने के कदम भी उन्हें ही उठाने होंगे। इस कुप्रबन्धन के लिये किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। लेकिन अभी इस एक माह के समय में ऐसा कोई प्रयास मुख्यमन्त्री या उनकी सरकार की ओर से सामने नही आया है। सरकार ने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को अपना कार्यदृष्टि पत्र करार दे दिया है। लेकिन इस घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिये कितने वित्तिय संसाधनों की आवश्यकता होगी इसकी कोई जानकारी प्रदेश की जनता को नहीं दी गयी है जबकि यह बहुत आवश्यक है कि प्रदेश की जनता को इसकी यह भी जानकारी दी जाये कि इन चुनावी वायदों को पूरा करने के लिये प्रदेश की जनता पर परोक्ष/अपरोक्ष रूप से कोई कर्जभार नही डाला जायेगा। अभी एक माह के समय में जितने फैसलें लिये गये हैं उनसे वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली में कोई भिन्नता देखने को नही मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर यह सरकार अभी तक तबादलों के चक्रव्यूह से ही बाहर नही निकल पायी है। अवैध कटान और अवैध खनन के जो मामले सामने आये हैं उनसे ही कई गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। उद्योग विभाग ने खनन के तथ्यों को नकार दिया है जबकि मीडिया रिपोर्ट ने सबकुछ सामने दिखाया है। अवैध कटान का जो वीडियो सामने आया है उसमें वन विभाग का कर्मचारी बड़े अधिकारियों पर सीधे अनदेखी का आरोप लगा रहा है लेकिन सरकार की ओर से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नही आयी है। ऐसे में पहले एक माह के कार्यकलाप से यह सरकार अभी तक कोई बड़ा प्रभाव नही बना पायी है बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि यदि समय रहते सुधार न हुए तो आने वाले समय में कठिनाईयां बढ़ जायेंगी यह तय है।

पद्मावत का विरोध– कुछ सवाल

"देश भर में पद्मावत के विरोधा में हिंसक प्रदर्शन"! पद्मावती का नाम बदलकर भले ही पद्मावत रख दिया गया हो लेकिन फिल्म से जुड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जुलाई 2016 में इसके निर्माण के साथ ही विवादों की भी शुरुआत हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप पहले 1 दिसंबर 2017 को रिलीज होने के लिए तैयार यह फिल्म अब आखिरकार 25 जनवरी 2018 को भारी सुरक्षा के बीच देश के कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी जगह रिलीज कर दी गई।

"डॉ. नीलम महेंद्र"

लेकिन जैसा कि अंदेशा था, इसके प्रदर्शन के साथ ही देश में इसके विरोध में हिसंक आंदोलन भी शुरू हो गए। आगजनी, पथराव, तोड़फोड़।

निसंदेह इस प्रकार की घटनाओं का एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की हिंसा न केवल कानून व्यवस्था पर प्रशासन की ढीली पकड़ और सरकार की नाकामी को सामने लेकर आती हैं बल्कि अनेक बुनियादी सवालों को भी खड़ा करती हैं।

जैसे भंसाली जो बालीवुड के एक नामी फिल्म प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर हैं, इससे पहले भी कई फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और खास बात यह है कि इनकी फिल्मों और विवादों का नाता कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जब उन्होंने बाजीराव मस्तानी बनाई थी, तब भी विवाद हुआ था। अगर वे चाहते तो अपनी पिछली गलती से सबक ले लेते और इस फिल्म को एक विवाद बनने से बचा लेते लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया (शायद इसलिए कि वो एक "गलती" नहीं थी) जिससे यह कहा जाए कि वे स्वयं ही इस विवाद के एक जिम्मेदार पक्ष नहीं हैं।

ऐसा सोचने के कई कारण हैं कि इस प्रकार के विवादों को वे जानबूझकर आमंत्रित करते हैं क्योंकि इन विवादों से उनकी फिल्म को पूरे देश में मुफ्त की वो पबलिसिटि मिल जाती है जिसे हासिल करने के लिए न सिर्फ करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं बल्कि फिल्म की कास्ट के साथ शहर शहर की खाक भी छाननी पड़ती है। लेकिन अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाईन बनने वाली एक विवादित फिल्म देखने के लिए निश्चित ही दर्शकों की भीड़ उमड़ेगी और कमाई के सभी रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर देगी।

क्योंकि अगर विवाद की तह में जाएंगे तो पता चलता है कि जब फिल्म का निर्माण आरंभ हुआ था तभी राजपूत संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। अगर भंसाली चाहते तो उसी वक्त फिल्म की स्क्रिप्ट समझाकर उन्हें भरोसे में लेकर विवाद वहीं खत्म कर सकते थे लेकिन उनकी ओर से राजपूत समाज के संशय दूर करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई।

परिणामतः विरोध बढ़ता गया यहाँ तक कि एक बार फिल्म के सेट तक को जला दिया गया जिससे काफी आर्थिक हानि भी हुई लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विवाद बढ़ने दिया।

अगर वे सचमुच ही फिल्म से जुड़ा विवाद टालना चाहते तो, प्रदर्शन से पूर्व इन राजपूत संगठनों को फिल्म दिखाकर उनके भ्रम दूर करके इसके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता साफ कर सकते थे।

लेकिन इसके बजाये उन्होंने कुछ पत्रकारों को फिल्म दिखाकर उनके चैनलों को इसके प्रचार का माध्यम बनाना ज्यादा उचित समझा।

प्रश्न तो और भी हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके भी कुछ दायित्व देश के प्रति हैं। देश का माहौल शांतिपूर्ण रहे और उनकी वजह से समाज के किसी वर्ग की भावनाएँ आहत न हों यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने देश के प्रति अपने ऐसे किसी कर्तव्य का कोई विचार किए बिना फिल्म 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को रिलीज की जबकि वे जानते थे कि एक तरफ उस दिन गणतंत्र दिवस के आयोजनों और इनमें शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में हमारे सुरक्षा बल लगे होंगे तो दूसरी तरफ इन हालातों में देश में आतंकवादी घटनाओं को टालने के लिए भी देश का पूरा फोर्स रेड अलर्ट पर रहता है। ऐसे मौकों पर देश की सुरक्षा वैसे ही हमारे सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती होती है। लेकिन इन सभी महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज करके देश के नागरिकों की सुरक्षा को ताक में रख कर सिर्फ अपने आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए भारी विरोध के बावजूद अपनी विवादित फिल्म गणतंत्र दिवस की छुट्टियों के इस मौके पर अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए प्रदर्शित करना ही अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है।

क्योंकि यह तो अपेक्षित ही था कि फिल्म का विरोध होगा और हुआ भी लेकिन अगर इस अराजकता का फायदा आतंकवादी संगठन उठा लेते और भीड़ में घुसकर किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे देते तो?

लेकिन जो हुआ वो भी देश को शर्मिंदा करने वाला था। गुरुग्राम की एक स्कूली बच्चों से भरी बस को निशाना बनाया गया। कहा गया कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा यह सब किया गया जबकि करणी सेना ने ऐसी किसी घटना में अपना हाथ होने से इन्कार किया है।

सच क्या है यह तो जांच के बाद पता चलेगा लेकिन वो मासूम बच्चे जो कितने रात सो नहीं पाएंगे, कितने दिनों तक इस घटना के सदमे से बाहर नहीं आ पाएंगे उनकी इस मनोदशा का जिम्मेदार कौन है?

बेहतर होता कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार सख्त कानून द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा तय करे। यह स्पष्ट करे जब अभिव्यक्ति किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाकर समाज में हिंसा का कारण बन जाती है तो वो स्वतंत्रता की सीमा लाँघ जाती है और समाज के लिए प्रताड़ना बन जाती है।

क्या एक लोकतांत्रिक समाज में विरोध को नजरअंदाज करते हुए एक विवादित फिल्म को सुरक्षा के बीच तानाशाही पूर्वक इस प्रकार प्रदर्शित करना केवल अभिव्यक्ति की आजादी की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए?

क्या यह बेहतर नहीं होता कि सरकार अथवा कोर्ट यह आदेश देती कि देश की शांति और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर जब तक दोनों पक्ष बातचीत से विवाद को सुलझा नहीं लेते फिल्म को प्रदर्शित करने नहीं दिया जाएगा? बड़े से बड़े विवाद बातचीत से हल हो जाते हैं शर्त यही है कि नीयत सुलझाने की हो।

करणी सेना द्वारा देश भर में इस प्रकार की हिंसा किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराई जा सकती लेकिन क्या भंसाली निर्दोष हैं?

2017 की समीक्षा–II

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा भारत की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग में 13 साल के बाद सुधार

गतांक से आगे.....

प्रत्यक्ष कर – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को कम करने, करदाताओं को निश्चितता उपलब्ध कराने, सेफ हार्बर मार्जिन को उद्योग के मानकों के अनुरूप बनाने, और सेफ हार्बर लेनदेनों की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 8 जून, 2017 को नया सेफ हार्बर रेजीम अधिसूचित किया।

बेहतर करदाता सेवाएं देने और करदाता व कर निर्धारण करने वाले अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क कम से कम करने के लिए 10 जुलाई, 2017 को एक नया करदाता सेवा मॉड्यूल आयकर सेतु का शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल लाइव चैट की सुविधा देता है, कई टैक्स टूल्स को एक साथ जोड़ता है, तेज अपडेट देता है और इसमें आईटीडी की कई प्रक्रियाओं के अहम लिंक शामिल होते हैं।

आयकर विभाग ने कर आधार बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं और कर प्रशासन में कुशलता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाई है। कुछ अन्य पहलू इस प्रकार हैं – 50 लाख रुपये तक आय वाले करदाताओं के लिए एक पेज का आईटीआर – 1 (सहज) प्रपत्र पेश करना और 50 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए निगम कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत करना। इन पहलों के साथ करदाताओं की संख्या बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2012 – 13 में जहां 4.72 करोड़ थी और वित्त वर्ष 2016 – 17 में 18 सितंबर, 2017 तक बढ़कर 6.26 करोड़ हो गई है।

सरकार के कर आधार बढ़ाने के प्रयासों के तहत वित्त वर्ष 2017 – 18 में प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर अक्टूबर, 2017 तक 4.39 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो बीते साल की समान अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत ज्यादा है।

सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा के लिए 22 नवंबर, 2017 को एक कार्यबल का गठन किया और देश की आर्थिक जरूरतों के क्रम में एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा भी तैयार किया है।

विमुद्रीकरण और ऑपरेशन क्लीन मनी

आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान मिली सूचना के आधार पर तलाश और जब्ती व सर्वेक्षण जैसे कदम उठाए।

आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण की अवधि यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान नकद जमा के ई – सत्यापन के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से 31 जनवरी, 2017 को ऑपरेशन क्लीन मनी का आगाज किया। इस अभियान में एडवांस डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल, सरकार के संसाधनों में बदलाव अनुमति और करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम बनाना शामिल है।

9 नवंबर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 के दौरान आयकर विभाग द्वारा की गई सख्त कार्रवाई से 818 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि जब्त की गई और 9,334 करोड़ रुपये से ज्यादा अघोषित आय का पता लगा। सरकार के कदमों का ही असर रहा कि वित्त वर्ष 2016 – 17 में 21.7 प्रतिशत ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल हुए, सकल संग्रह में 16 प्रतिशत की वृद्धि (बीते पांच साल में सबसे ज्यादा) हुई, कुल संग्रह में 14 प्रतिशत की वृद्धि (बीते तीन साल में सबसे ज्यादा) और वैयक्तिक आयकर, नियमित आकलन कर (रेग्युलर एसेसमेंट टैक्स) और स्व – आकलन कर में क्रमशः 18, 25 और 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आयकर विभाग ने 1100 छापेमारी और सर्वेक्षण किए एवं 9 नवंबर, 2016 से 10 जनवरी, 2017 के दौरान संदिग्ध भारी नकद जमाओं के मामलों या उससे संबंधित गतिविधियों में 5100 सत्यापन नोटिस जारी किए गए। इन कदमों के साथ 5,400 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।

दूसरे चरण के ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत आयकर विभाग ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत मिली सूचना के आधार पर 5.56 लाख ऐसे नए लोगों की पहचान की, जिनका कर प्रोफाइल विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान की गई नकद जमाओं की तुलना में जुलाई, 2017 तक असंगत रहा है।

विमुद्रीकरण के क्रम में आयकर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के कारण मई, 2017 तक कर के दायरे में 91 लाख नए करदाता आ गए।

पैराडाइज पेपर्स और पनामा पेपर्स से जुड़े मामलों में समन्वित और तेज जांच सुनिश्चित करने के लिए नवंबर, 2017 के दौरान एक मल्टी – एजेंसी समूह का गठन किया गया।

भ्रष्टाचार और चोरी के खिलाफ कदम

शेल कंपनियों के भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए जुलाई, 2017 में एक कार्यबल का गठन किया गया।

भारत सरकार ने देश भर में बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए। कुछ कदमों में बेनामी अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई के लिए 24 बेनामी निषेध इकाइयों का गठन करना और बेनामी संपत्तियों को अटैच करने व बाद में जब्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सशक्त बनाना आदि शामिल हैं।

सितंबर, 2017 में वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को दो लाख बंद कंपनियों के बैंक खातों पर पाबंदियां लगाने और ऐसी कंपनियों के साथ व्यवहार में ज्यादा सख्ती करने की सलाह दी।

आयकर विभाग ने नए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सख्ती बढ़ा दी

वित्तीय सेवा विभाग

बैंकों को अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तम्भ माना जाता है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के क्रम में उनके पुनर्पूंजीकरण की दिशा में व्यापक कदम उठाने का फैसला किया, जिससे क्रेडिट ग्रोथ और रोजगार पैदा करने में मदद मिले। इसके तहत अगले दो साल के दौरान बैंकों को 2,11,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराने की योजना है। इस क्रम में 18,139 करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान, 1,35,000 करोड़ रुपये पुनर्पूंजीकरण बुड और बाकी बैंकों द्वारा सरकार की हिस्सेदारी बेचकर बाजार से पूंजी जुटाकर किया जाएगा।

23 अगस्त, 2017 को कैबिनेट ने अल्टरनेटिव मेकैनिज्म यानी वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों का समेकन आसान होगा और मजबूत व प्रतिस्पर्धी बैंक सामने आएंगे। इस क्रम में 1 नवंबर, 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन के लिए अल्टरनेटिव मेकैनिज्म कमेटी के संयोजन को अंतिम रूप दिया गया। यह समिति केंद्रीय वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में काम करेगी और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें सदस्य होंगे। समेकन की योजनाएं बनाने के लिए बैंकों से मिले प्रस्तावों को अल्टरनेटिव मेकैनिज्म के सामने रखा जाएगा और इसके द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट को हर तीन महीने में कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

सरकार ने संकटग्रस्त संपत्तियों की वसूली और समाधान को आसान बनाने के लिए कुछ बड़े कानूनी बदलाव भी किए। इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए एक फेमवर्क के तौर पर इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को कानून का रूप दिया गया, जिससे बेईमान और अवांछनीय लोगों को सहिता के प्रावधान के दुरुपयोग से रोका जा सके।

काफी विचार – विमर्श के बाद संहिता के फेमवर्क को बनाया गया, जिससे समाधान योजना को स्वीकृति देने से पहले प्रवर्तकों के साथ ही समाधान के आवेदकों का उनकी साख और विश्वसनीयता के आधार पर परीक्षण किया जा सके।

इसमें आईबीबीआई विनियमन, 2017 के अंतर्गत सूचना उपयोगिता के रूप में नेशनल ई – गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण कराया गया।

भारत के राजपत्र में आईबीबीआई (शिकायत एवं शिकायत निपटान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 को भी 7 दिसंबर, 2017 को अधिसूचित कर दिया गया।

2017 – 18 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए गए कर्ज ने 8 दिसंबर, 2017 तक 1,21,450.31 करोड़ रुपये का लक्ष्य पार कर दिया। योजना के अंतर्गत 'शिशु' उप – योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक के कर्ज दिए गए, 'किशोर' उप – योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक कर्ज दिए गए और 'तरुण' उप – योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच तक कर्ज दिए गए। 21 जुलाई, 2017 तक महिला उद्यमियों को 6.28 करोड़ कर्ज दिए गए। पीएमएमवाई के अंतर्गत 76 प्रतिशत कर्ज महिला उद्यमियों ने लिए।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों की संख्या 29 नवंबर, 2017 तक 30.69 करोड़ हो गई। जीरो बैलेंस खातों की संख्या सितंबर, 2014 के 76.81 प्रतिशत से घटकर सितंबर, 2017 में 20 प्रतिशत से कम हो गई। साथ ही 29 नवंबर, 2017 तक 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ खाताधारकों को 23.08 करोड़ रूपे कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा सभी रूपे एटीएम – कम – डेबिट कार्डधारकों को दुर्घटना मृत्यु और स्थायी अपंगता बीमा कवर का पात्र बना दिया गया।

वित्तीय समावेशन और वित्तीय सुरक्षा के अंतर्गत भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम अटल पेंशन योजना से 69 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। इसके लिए अक्टूबर, 2017 तक 2,690 करोड़ रुपये का अंशदान किया गया।

सरकार ने वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा देने और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को संरक्षण देने के साथ ही बाजार के अनिश्चित हालात के मद्देनजर भविष्य में उनकी ब्याज आय घटने से बचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का शुभारंभ किया।

अगस्त, 2017 तक भारत में लगभग 52.4 करोड़ विशिष्ट आधार संख्या 73. 62 खातों से संबद्ध हो गए हैं। परिणाम स्वरूप गरीब लोग भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करने में सक्षम हो गए हैं। अब हर महीने लगभग 7 करोड़ लोग सफलतापूर्वक आधार पहचान के इस्तेमाल से सफलतापूर्वक भुगतान कर रहे हैं।

एनपीएस – निजी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने की अधिकतम उम्र मौजूदा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है।

विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2017 – 18 के दौरान 15 दिसंबर, 2017 तक विनिवेश के माध्यम से 52,389.56 करोड़ रुपये जुटाए।

सीपीएसई के विनिवेश से 2017 – 18 में 72,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए शेयरों के विनिवेश के माध्यम के दौर पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के इस्तेमाल के उद्देश्य से सरकार ने 14 नवंबर, 2017 को भारत 22 नाम से एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पेश किया, जिसका प्रबंधन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को सौंपा गया और इसका लक्ष्य शुरुआती तौर पर 8,000 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाना था। भारत – 22 सीपीएसई, पीएसबी और एसयूयूटीआई की रणनीतिक हिस्सेदारी का मिश्रण है। एनजीं हैवी सीपीएसई ईटीएफ की तुलना में भारत – 22, 6 सेक्टर्स द्धबेसिक मैटेरियल्स, ऊर्जा, वित्त, एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल्स और यूटिलिटीजऋ का विविधाता पूर्ण पोर्टफोलियो है। ईटीएफ की क्षमता विशेष रूप से तैयार किए गए सूचकांक एसएंडपी बीएसई भारत – 22 इंडेक्स में निहित है और यह अगस्त, 2017 में घोषणा के समय उसके प्रदर्शन से भी जाहिर होता है। इसने नि"टी – 50 और सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया और 14,500 करोड़ रुपये जुटाए जा सके।

(स्त्रोत, डीआईपीएएम की साइट)

16 अगस्त, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई, जो इस प्रकार हैं – (1) एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट से बिक्री से लेकर वित्तीय निविदा आमंत्रित करने के नियम व शर्तों से संबंधित मामलों पर फैसला लेने के लिए वित्त मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और प्रशासनिक विभाग मंत्री को मिलाकर एक अल्टरनेटिव मेकैनिज्म की स्थापना, और (2) प्रक्रियात्मक मुद्दों और सीसीईए के फैसलों को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए जरूरी बदलाव पर विचार करने से संबंधित नीतिगत फैसलों के लिए कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को सशक्त बनाना शामिल है। स्वीकृति से रणनीतिक विनिवेश लेनदेनों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

व्यय विभाग (डीओई)

सेवाओं की समयबद्ध डिलिवरी सुनिश्चित करने के वास्ते आवश्यक लचीलापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुधारा हुआ, कुशल और प्रभावी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 7 मार्च, 2017 को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 जारी किए गए थे।

7वीं सीपीसी – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने 28 जून, 2017 को कुछ बदलावों के साथ 7वीं सीपीसी की भत्तों पर की गई सिफारिशों को स्वीकृति दे दी गई। भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गईं, जिससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।

7वीं सीपीसी की सिफारिशों को स्वीकृति देते हुए कैबिनेट ने मौजूदा प्रावधानों में भारी बदलावों और कई प्रस्तुतीकरणों को ध्यान में रखते हुए भत्तों पर समिति के गठन का फैसला किया। कुल 197 भत्तों के परीक्षण के लिए 7वीं सीपीसी में तीन चरणीय रणनीति को अपनाया गया है, जिसमें हर भत्ते को जारी रखने की जरूरत, इसके दायरे में आने वाले लोगों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और समान उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले भत्तों को मिलाना जैसे बदलाव भी शामिल है। इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षण के आधार पर 7वीं सीपीसी ने सिफारिश की कि 53 भत्तों को खत्म कर दिया गया और 37 को मौजूदा या नए प्रस्तावित भत्ते में शामिल कर दिया गया। बनाए रखे गए अधिकांश भत्तों के लिए सीपीसी ने सिफारिश उन्हें महंगाई के अनुरूप बनाने की सिफारिश की, जैसा महंगाई भत्ते की दरों से जाहिर होता है। भत्तों से जुड़े जोखिम और मुश्किलों के मद्देनजर नए तरह का माहौल सामने आया है। सामान्य कर्मचारियों, सीएपीएफ और रक्षा कर्मचारियों से जुड़े असंख्य भत्ते, उनकी श्रेणियों और उप – श्रेणियों को रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स नाम की तालिका में जोड़ दिया गया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रोत्साहन

पीएफएमएस के माध्यम से फंड्स की निगरानी – 27 अक्टूबर, 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को दिए जाने वाले फंड पर नजर रखने और निगरानी के लिए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया। 6,66,644 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली इन सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं में केंद्र सरकार का 31 प्रतिशत व्यय वित्त वर्ष 2017 – 18 के दौरान किया जाना है। संसाधनों की उपलब्धता, प्रवाह और वास्तविक उपयोग पर रियल टाइम जानकारी देने की क्षमता वाले पीएफएमएस में कर्यक्रम/वित्तीय प्रबंधन में सुधार, समय से फंड जारी करके वित्तीय प्रणाली की खामियों को दूर करना और सरकारी उधारी जिससे सरकार की ब्याज लागत प्रभावित होती है, आदि में व्यापक सुधार की क्षमताएं हैं।

मोबाइल अनुकूल फॉर्मेट वेबसाइट: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने व्यय विभाग की एक नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत व्यय विभाग की नई वेबसाइट का उन्नत सामान्य लैंडिंग वेबपेज शुरू करना मानकीकरण और प्रस्तुतीकरण में सुधार एवं कंटेंट प्रबंधन फेमवर्क के इस्तेमाल से होने वाली कंटेंट डिलिवरी की दिशा में बड़ा कदम है।

केंद्र सरकार के पेंशनरों और मंत्रालयों/विभागों और बैंकों में अन्य पक्षधारकों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से महानियंत्रक लेखा ने 30 नवंबर, 2017 को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय वेबसाइट (www-cpao-nic-in) के सुधरे हुए वर्जन का शुभारंभ किया। यह पेंशन से संबंधित जानकारी के आकलन और पेंशनरों की शिकायतों के निस्तारण के लिए एकल विंडो उपलब्ध कराता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन

व्यय विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के क्षेत्र में कई पहल कीं, जिनमें सार्वजनिक व्यय की कुशलता एवं पारदर्शिता में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार के अधिकारियों की क्षमता निर्माण और राज्य कोषों को केंद्रीय पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ने पर खास ध्यान दिया गया। सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के राहत एवं बचाव अभियानों के लिए अरुणाचल प्रदेश को 51.30 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता जारी की।

बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय

सरकार रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को गति देने के क्रम में बुनियादी ढांचे पर सार्वजनि व्यय को लगातार बढ़ा रही है। भारत सरकार को अक्टूबर, 2017 को कुल 7,67,327 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 17 – 18 की कुल प्राप्तियों का 47.9 प्रतिशत) की प्राप्तियां हुईं, जिसमें 6,33,617 करोड़ रुपये कर राजस्व, 95,151 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व और 38,559 करोड़ रुपये गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों में कर्ज की वसूली (8,394 करोड़ रुपये) और पीएसयू का विनिवेश (30,165 करोड़ रुपये) शामिल है। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा करों की साझेदारी के तहत राज्य सरकारों को 3,37,280 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

ग्रामीण सड़कों, आवास, रेलवे, बिजली, राजमार्ग और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया। भारत सरकार ने 2017 – 18 के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपये के पूंजी खर्च का लक्ष्य तय किया था, जो बीते साल से 31.28 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें से सितंबर, 2017 तक 1.46 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत कार्यों पर व्यय किए गए। सरकार ने अगले 6.92 लाख करोड़ रुपये के व्यय वाला 83,677 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया, जिसके लिए 5,35,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया। इससे 14. 2 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा होंगे।

पलटें

हिमाचल में एक नए युग की भोर

48 वां पूर्ण राज्यत्व दिवसः 25 जनवरी, 2018

''जयराम ठाकुर''
मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश

25 जनवरी का दिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक स्वर्णीम दिवस है। वर्ष 1971 में इसी पावन दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही हमारा प्रदेश भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना और प्रदेश के लोगों को अपने भाग्य के निर्धारण तथा विकास की अपनी राह चुनने का सुनहरा मौका मिला। इस ऐतिहासिक एवं पावन अवसर पर मैं, हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

मैं, इस पावन धरा के उन महान सपूतों व देशभक्तों के प्रति भी सम्मान व कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अनेक कठिनाइयों को सहते हुए हिमाचल प्रदेश को विशेष पहचान व दर्ज़ा दिलाया। इस शुभ अवसर पर हम हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री डॉ. यशवन्त सिंह परमार को भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने न केवल प्रदेश को अलग पहचान एवं दर्ज़ा दिलाने के संघर्ष की अगुवाई की, बल्कि प्रदेश के भावी विकास के लिए एक मज़बूत नींव रखी। इन 47 वर्षों में प्रदेश ने सामाजिक – आर्थिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है तथा सभी क्षेत्रों व वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित बनाया।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने 27 दिसम्बर, 2017 को कार्यभार सम्भाला है। इस अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों का विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भारी जनादेश देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं उन्हें तथा सभी प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि वर्तमान प्रदेश सरकार पूरी निष्ठा व समर्पण से कार्य कर उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। उनके स्नेह व मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश प्रगति व समृद्धि के पथ पर निरन्तर अग्रसर होगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सभी को सामाजिक – आर्थिक न्याय के साथ सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, जिसके लिए हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं।

पूर्व कांग्रेस सरकार के विगत पांच वर्षों के कार्यकाल ने प्रदेश की साख एवं संभावनाओं को आहत किया है। पूर्व सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई अनेक कल्याण एवं विकासात्मक योजनाओं के लाभ उठाने में पूरी तरह असफल रही। हमारी सरकार केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं को कारगरता से कार्यान्वित करेगी ताकि प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जा सके।

यह चिन्ता का विषय है कि पूर्व सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव के कारण, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई तथा विकास की गति में कमी आई। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश पर 46 हज़ार 500 करोड़ रुपये का कर्ज है। हमारी सरकार का सबसे पहला काम प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना तथा लोगों में सरकार के प्रति विश्वास को पुनः कायम करना है। राज्य सरकार ने शीघ्र ही प्रदेश को विकट वित्तीय समस्या से उभारने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया है।

कार्यभार सम्भालने के पहले ही दिन हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र – 2017' को सरकार का नीति दस्तावेज़ बनाने का अहम निर्णय लिया। सभी विभागों को अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों का 100 दिन का 'रोड़ मैप' तैयार करने को कहा गया है। 30 दिन की इस छोटी – सी अवधि में प्रदेश सरकार ने लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार ने बिना किसी आय सीमा के वृद्धजनों की सामाजिक पैंशन के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है, जिससे हजारों वृद्धजन लाभान्वित होंगे। प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई, 2017 से 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता जारी किया गया है। सरकारी सेवा में सशस्त्र बल व पूर्व सैनिक कोटे के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से निज़ात दिलाने के लिए मंत्रिमण्डल उप – समिति का गठन किया गया है।

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश बैवरेज लिमिटेड को निरस्त कर प्रदेश में शराब की थोक बिक्री के लिए पुरानी प्रणाली को जारी रखने का भी निर्णय लिया है।

केन्द्र सरकार द्वारा जन कल्याण की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, फिर चाहे वह जीएसटी हो, स्मार्ट सीटी परियोजना हो, स्वच्छ भारत अभियान अथवा शौचालयों का निर्माण हो या फिर सुगमता से व्यापार हो, सभी योजनाएं 'नए भारत' के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कारगर व तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाना है, जिन्हें पूर्व सरकार के कार्यकाल में या तो इसकी अनदेखी गई थी या उन पर धीमी गति से प्रगति हो रही थी। हम सभी लोगों के सक्रिय सहयोग से इन योजनाओं में श्रेष्ठ सहभागिता सुनिश्चित बनाएंगे।

राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की अहम् भूमिका को भली – भांति समझते हुए प्रदेश सरकार बिना किसी बाधा के राज्य के सभी विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश सरकार बच्चों के सर्वांगिण बौद्धिक, शारीरिक व नैतिक विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। हमारा ध्येय हिमाचल प्रदेश को शिक्षा का केन्द्र बनाना है।

लोगों को उनके घर – द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित बनाने के हर संभव प्रयास किए जायेंगे। केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के लिए हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु 1351 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह श्रेष्ठ संस्थान राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रदेश के ऊना ज़िले के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पीजीआई चण्डीगढ़ का सैटेलाईट केन्द्र तथा मातृ – शिशु देखभाल केन्द्र स्वीकृत किया गया है। हम प्रदेश के चम्बा, नाहन तथा हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार के आभारी हैं।

पर्यटन एक अन्य ऐसा क्षेत्र है,जो स्थानीय लोगों की आय व रोज़गार सृजन का एक मुख्य साधन बन सकता है। राज्य में साहसिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, पारिस्थितिकीय पर्यटन तथा गामीण पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अनेक प्राकृतिक संसाधनों से संवारा है। हिमाचल के पवित्र स्थलों और प्राकृतिक सम्पदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिमला – शोघी के बीच जॉय राईड ट्रेन की सुविधा आरम्भ की गई है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हैली – टैक्सी सेवाएं आरम्भ करने के लिए उपदान देने का आग्रह किया है। प्रदेश के जनजातीय ज़िले किन्नौर और लाहौल – स्पीति को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। प्रदेश का चम्बा ज़िला अपनी पुरातन कला, हस्तशिल्प व लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हमारा प्रयास रहेगा कि इन गतिविधियों को पर्यटन के साथ जोड़ा जाए। कुल्लू ज़िले के आऊटर सिराज तथा मंडी ज़िले की जंजैहली घाटी को भी पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में सड़कें ग्रामीण आर्थिकी व विकास की भाग्य रेखाएं मानी जाती हैं। पूर्व भाजपा सरकार को राज्य में गुणात्मक पेयज़ल उपलब्ध करवाने तथा बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने को सर्वोच्च अधिमान देने के लिए जाना जाता था। प्रदेश सरकार राज्य में सड़क निर्माण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तारको विशेष प्राथमिकता देगी। प्रदेश सरकार सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सड़क रख – रखाव नीति तैयार करेगी। केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 69 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत किए हैं, जिसके लिए मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूं। इससे राज्य में सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण होगा।

प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इन क्षेत्रों में आर्थिक, अधोसंरचनात्मक तथा दक्ष मानव संसाधन विकास के सृजन के प्रति कटिबद्ध है। प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है इसलिए ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास को विशेष अधिमान दिया जाएगा। प्रदेश में शून्य लागत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

बागवानी क्षेत्र हमारी कृषि आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए नई तकनीक अपनाकर बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है। अब बी – ग्रेड के किन्नू, माल्टा तथा संतरे का समर्थन मूल्य 7 रुपये प्रति किलो तथा सी – ग्रेड का मूल्य साढ़े छः रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार गलगल का समर्थन मूल्य साढ़े पांच रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। हमारी सरकार ने केन्द्र से प्रदेश के सेब बागवानों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाने का आग्रह किया है। प्रदेश के लिए विश्व बैंक द्वारा 1134 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना स्वीकृत की गई हैं। प्रदेश में बागवानी विकास के लिए न्यूज़ीलैंड के सरकारी उपक्रम प्लांट एण्ड फूड रिसर्च के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध किया है, ताकि प्रति हेक्टेयर बागवानी उत्पादन में वृद्धि हो सके।

निरन्तर गिरते भू – जल स्तर पर अंकुश लगाने के लिए मिट्टी के जलाशय, चैकडेम इत्यादि निर्मित किए जायेंगे। पारम्परिक जल स्त्रोतों के संवर्द्धन एवं संरक्षण पर बल दिया जाएगा। भू – जल के समुचित उपयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए ट्यूबवैल तथा हैंडपम्प स्थापित किए जायेंगे।

हमारा प्रयास प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा का समुचित दोहन कर राज्य के लिए आय व रोज़गार सृजन का रहेगा। प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में लगभग 23 हज़ार मैगावाट जल विद्युत् क्षमता उपलब्ध है। सरकार प्रदेश में ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार करेगी ताकि इस क्षमता का समुचित दोहन किया जा सके।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को बल दिया जाएगा ताकि राज्य को आय अर्जित हो सकें और प्रदेशवासियों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सके। प्रदेश में पर्यावरण मित्र, आय व रोज़गार सृजन करने वाले तथा प्रदूषण मुक्त उद्योगों को प्राथमिता दी जाएगी। प्रदेश में 'ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस' अर्थात् सुगमता से व्यापार पर बल दिया जाएगा। सरकार राज्य में स्थापित होने वाले सभी उद्योगों, जिनमें पर्यटन, जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं, में कम से कम 80 प्रतिशत रोज़गार हिमाचली युवाओं के लिए सुनिश्चित बनाएगी। प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाएगा तथा राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले नए उद्योगों को प्रथम पांच वर्षों के लिए शत प्रतिशत आयकर छूट तथा तत्पश्चात् आगामी पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का भी आग्रह किया है।

प्रदेश की अपार प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण तथा उसके संवर्धन के लिए जन – भागीदारी पर बल दिया जाएगा। वनों में आग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नीतिगत ढांचा भी तैयार किया जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मेरी सरकार प्रदेश में 'वन लगाओ – रोज़ी कमाओ' जैसी योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन के लिए लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाएगी। बदलते मौसम तथा पर्यावरण में आए प्रतिकूल बदलाव के कारण पेयजल जैसे प्राकृतिक स्त्रोतों पर संकट आ गया है। इसमें हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सीमित प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें, ताकि पारिस्थितिकी व पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे।

सरकार समाज के कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है तथा उनके आर्थिक उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के हर आवासहीन निर्धनों को वर्ष, 2022 तक अपना घर उपलब्ध करवाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी।

प्रदेश सरकार के कर्मचारी सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के तीव्र व कारगर कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी सरकार कर्मचारियों के कल्याण तथा उनकी शिकायतों के निवारण पर विशेष ध्यान देगी। सरकार, सरकारी भर्तियों और स्थानान्तरण आदेशों में पारदर्शिता लाएगी, ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों को लीक से हटकर काम करना चाहिए तथा नए सुझावों के साथ आगे आना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाया जा सके।

सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 'अटल हैल्पलाईन' स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, माफिया गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में 'होशियार हैल्पलाईन' स्थापित की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध के निवारण एवं उन्हें रोकने के लिए 'गुड़िया हैल्पलाईन' शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी। इसी प्रकार प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए ऑनलाईन पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं में हुई प्रगति की वास्तविक स्थित के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।

हमारे प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार युवा शक्ति को हिमाचल प्रदेश के विकास का आधार मानती है। प्रदेश सरकार का प्रयास रहेगा कि युवा विकास व कल्याण सरकार के विकास कार्यक्रमों का विभिन्न अंग हों। हाल ही में प्रदेश की बेटी प्रतिभा जम्वाल ने सागर परिक्रमा में निकले नौसेना के छः सदस्य महिला दल के साथ खतरनाक कैप हॉर्न में तिरंगा फहराकर इतिहास रचा है। मण्डी ज़िले की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता गीता वर्मा ने अपने क्षेत्र में खसरा व रूबेला प्रतिरोधक टीकाकरण कार्यक्रम में शत – प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष, 2018 के कलैण्डर में स्थान पाया है। इसी प्रकार कुल्लू ज़िले की आंचल ठाकुर ने विगत दिनों आयोजित विश्व स्कीइंग प्रतियोगिता में पहली बार देश के लिए कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके अतिरिक्त, सिरमौर ज़िले के संगड़ाह के धावक वीरेन्द्र ने लुधियाना में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दौड़ प्रतियोगिता में रजत तथा कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह हमारी युवा शक्ति की पहचान है।

हम एक समृद्ध व खुशहाल हिमाचल के प्रति कृतसंकल्प है। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाने के उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है जहां सभी को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों, प्रदेश स्वावलम्बी हो तथा प्रदेश का हर व्यक्ति सम्मान, सद्भाव व शान्ति से जीवन – यापन कर सके। पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बिना किसी भेदभाव के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे।

जय हिन्द, जय हिमाचल!

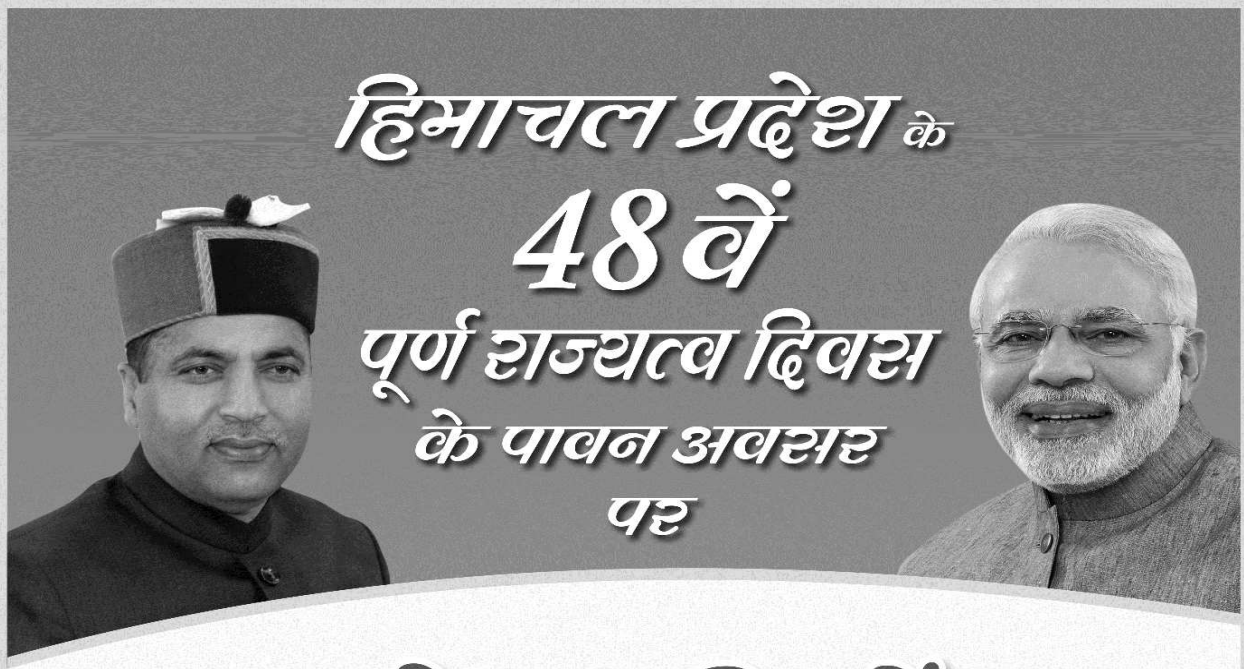

प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई

प्यारे प्रदेशवासियो,
आपके सहयोग से स्वर्णिम हिमाचल की ओर प्रदेश सरकार ठोस क़दम बढ़ा रही है।
स्वच्छ, शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित, सुशासित एवं स्वावलम्बी हिमाचल की परिकल्पना को मूर्त रूप देना हमारा ध्येय है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार सबके साथ, सबका विकास करने के लिए कृतसंकल्प है।

आईए हम प्रण लें, विकास पथ पर सहयात्री बन साथ-साथ आगे बढ़ेंगे...

आपका शुभेच्छु,
जय राम ठाकुर,
मुख्यमंत्री,
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल सरकार का प्रयास - सबका साथ - सबका विकास

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 - 2805015, 94180 - 15015 फैक्स: 2805015

नड्डा ने आयोजित की दिल्ली स्थित प्रदेश के अधिकारियों से मुख्यमन्त्री की मुलाकात

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रदेश काडर के केन्द्र की प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों से शनिवार को भेंट की है। यह मुलाकात केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर हुई है। नड्डा के आवास पर हुई यह बैठक स्वभाविक है कि नड्डा द्वारा ही आयोजित की गयी है। क्योंकि यदि ऐसे आयोजन का विचार मुख्यमन्त्री का अपना होता तो यह आयोजन नड्डा के आवास पर होने की बजाये हिमाचल भवन में भी हो सकता था। नड्डा के आवास पर यह आयोजन होने से यह संदेश जाता है कि नड्डा ने इन अधिकारियों का परिचय मुख्यमन्त्री से करवाया और उनसे आग्रह किया कि वह मुख्यमन्त्री और राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करें। दिल्ली स्थित प्रदेश के अधिकारियों से ऐसी मुलाकात किया जाना अपने में एक सकारात्मक प्रयास है लेकिन यदि इन अधिकारियों ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नये मुख्यमन्त्री से स्वयं मुलाकात करने की पहल की होती तो इसके राजनीतिक और प्रशासनिक मायने ही बदल जाते। इससे मुख्यमन्त्री का कद और ऊंचा हो जाता। लेकिन ऐसा नही हो पाया है। आज मुख्यमन्त्री की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक विश्लेष्कों के लिये यह सवल खड़ा हो गया है कि क्या इस समय ऐसी मुलाकात की कोई आवश्यकता थी भी या नहीं क्योंकि केन्द्र की ओर से जो योजनाएं राज्य में लागू हैं उनके तहत केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त कर पाना राज्य के उन अधिकारियों पर निर्भर करता है जो इनके तहत प्रस्ताव तैयार करके केन्द्र को भेजते हैं। हर योजना के लिये राज्य और केन्द्र की कितनी – कितनी भागीदारी होगी इसके मानक तय रहते हैं और इन तय मानकों को नज़रअन्दाज कर पाना संभव नही हो पाता है। ऐसे में केन्द्र से यह सहयोग लेना राज्य के अधिकारियों पर ज्यादा निर्भर करता है। अभी प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दिया है। इस फेरबदल में यह भी सामने आया है कि कई अधिकारी ऐसे स्थानों पर नियुक्त हो गये हैं जहां वह अपने अनुभव और योग्यता का पूरा- पूरा योगदान शायद न कर पायें। इसलिये जब तक प्रदेश के प्रशासन में अपने स्तर पर स्थिरता नही आ पायेगी तब तक केन्द्र के सहयोग का कोई ज्यादा प्रश्न ही नही उठता है। क्योंकि अभी एक माह के समय में ही सरकार ने कई ऐसे फैसले ले लिये हैं जिनके प्रभाव से सरकार को बाहर निकलने में काफी समय लग जायेगा।

नड्डा के आवास पर हुए इस आयोजन में मुख्यमन्त्री के साथ मुख्यसचिव विनित चौधरी, पुलिस प्रमुख एस. आर. मरडी के अतिरिक्त प्रदेश के कुछ अन्य अधिकारी भी शामिल रहे हैं लेकिन इस अवसर पर मुख्यमन्त्री अपने किसी सहयोगी मन्त्री को साथ नही ले गये थे। इस अवसर पर नड्डा ने राज्य तथा केन्द्र में कार्य कर रहे अधिकारियों के बीच राज्य के हित में बेहतर सामंजस्य व तालमेल पर बल दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों की कुशल व प्रभावशाली सेवाओं के लिये उनकी सराहना की और उम्मीद जताई कि वे भविष्य में भी केन्द्र तथा राज्य की इसी जज्बे से सेवा करना जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को भेजी गई परियोजनाओं तथा प्रस्तावों की स्वीकृतियों में तेजी लाने में संबंधित मंत्रालयों में अग्र – सक्रिय भूमिका के लिये अधिकारियों से आग्रह किया ताकि विकास की गति में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं और नीतियां व कार्यक्रमों के निर्माण तथा जमीनी स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों के कार्यान्वयन को गति देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिये गौरव की बात है कि भारत सरकार में कार्यरत अनेक कुशल अधिकारी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से राज्य के हितों की रक्षा करने तथा राज्य की उन्नति में प्रभावी भूमिका निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और सरकार उनकी बहुमूल्य सेवाओं को देखते हुए उनके हितों की रक्षा के लिये वचनबद्ध है।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने केन्द्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिये हर संभव प्रयास किए जाएंगे और राज्य के लोगों का कल्याण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित बनाया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आवासीय आयुक्त अनिल खाची सहित भारत सरकार में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

दस माह से 2200 अंशकालिक पटवारी सहायकों को नहीं मिला वेतन- सरकार की नीति सवालों में

शिमला/शैल। प्रदेश में कार्यरत 2200 अंशकालिक पटवारी सहायकों को पिछले दस माह से वेतन नही मिला है। यह बात इन्होने शिमला में आयोजित अपने एक सम्मलेन में कही है। इस सम्मेलन में इन्होंने प्रदेश स्तरीय यूनियन का गठन करके सरकार से अपने लिये न्याय की मांग की है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उनसे 8 घण्टे से भी ज्यादा काम लिया जाता है। पटवारी स्तर का हर कार्य इनसे करवाया जाता है। किसी भी तरह की कोई छुट्टी और मैडिकल आदि की भी सुविधा नही दी जाती है। इन्हे केवल 3000 रूपये वेतन दिया जाता है और वह भी समय पर नहीं मिलता। इन लोगों ने मांग की हैं कि इनके लिये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी बनायी जाये।

इन अंशकालिक पटवारी सहायकों को दस माह से वेतन न दिये जाने से पूर्व और वर्तमान दोनों सरकारों और पूरे प्रशासनिक तन्त्र पर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो यह सवाल आता है कि प्रदेश में पटवारियों की नियमित भर्ती कई बार रद्द होती रही है। इसके कारण आज एक – एक पटवारी के पास दो – दो पटवार सर्कलों की जिम्मेदारी हैं कहीं – कहीं यह दो से भी अधिक की है। मोदी सरकार ने देशभर के राजस्व रिकार्ड को 1954 से लेकर वर्तमान समय तक आधार से लिंक करने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह काम समयबद्ध सीमा में होना है। राज्य सरकारों को इस आश्य के निर्देश बहुत पहले जारी हो चुके हैं। इस संबन्ध में प्रदेश के निदेशक लैण्ड रिकार्ड और कुछ अन्य दिल्ली में ट्रैनिंग भी ले चुके हैं लेकिन शायद अब इनमें से कुछ का तबादला भी हो चुका है। भारत सरकार का कार्यक्रम में ऐसे समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा होगा यह सवाल अलग से खड़ा रह जाता है।

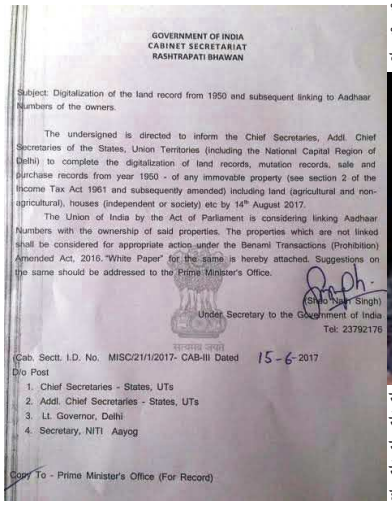

GOVERNMENT OF INDIA
CABINET SECRETARIAT
RASHTRAPATI BHAWAN

Subject: Digitalization of the land record from 1950 and subsequent linking to Aadhaar Numbers of the owners.

The undersigned is directed to inform the Chief Secretaries, Addl. Chief Secretaries of the States, Union Territories (including the National Capital Region of Delhi) to complete the digitalization of land records, mutation records, sale and purchase records from year 1950 - of any immovable property (see section 2 of the Income Tax Act 1961 and subsequently amended) including land (agricultural and non-agricultural), houses (independent or society) etc by 14th August 2017.

The Union of India by the Act of Parliament is considering linking Aadhaar Numbers with the ownership of said properties. The properties which are not linked shall be considered for appropriate action under the Benami Transactions (Prohibition) Amended Act, 2016. "White Paper" for the same is hereby attached. Suggestions on the same should be addressed to the Prime Minister's Office.

(Shiv Nath Singh)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23792176

(Cab. Sectt. I.D. No. MISC/21/1/2017- CAB-III Dated 15-6-2017

D/o Post

1. Chief Secretaries - States, UTs
2. Addl. Chief Secretaries - States, UTs
3. Lt. Governor, Delhi
4. Secretary, NITI Aayog

Copy To - Prime Minister's Office (For Record)

इसी के साथ यह सवाल भी सामने आता है कि प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक यह स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाना चाहिए। इस नाते जब इन अंशकालिकों से 8 घन्टे काम लिया जा रहा है तो फिर इन्हें वेतन के रूप में तीन हजार ही क्यों दिये जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय यह भी स्पष्ट कर चुका है कि रैगुलर नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से की गयी नियुक्ति चोर दरवाजे की एंट्री है जिसे कानून जायज़ नही ठहराया जा सकता और इसके आधार पर कर्मचारियों के साथ उन्हे मिलने वाले वेतन आदि सेवा लाभों में कोई भेदभाव नही किया जा सकता। इस नाते यह अंशकालिक नियुक्तियां अपने में ही एक अलग प्रश्न हो जाती है।

अभी सरकार ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों और पैन्शनरों को लाभ दिये हैं। क्या इन अंशकालिकों को भी यह लाभ मिल पायेंगे? यही नहीं इस समय वित्त विभाग के पास विभिन्न विभागों के सैंकड़ों कर्मचारियों के अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के मामले लम्बे अरसे से लंबित पड़े हैं। अब सरकार ने 500 करोड़ का कर्ज लिया है। फिर वित्त विभाग के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र ने कर्मचारियों को वित्तिय लाभ देने के लिये 700 करोड़ रूपये विशेष तौर पर अलग से सुरक्षित रखे हुए थे। अब इसी पैसे से कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया है। ऐसे में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के इन्तजार में जो सैंकड़ो कर्मचारी बैठे हैं क्या उन्हे यह सरकार अभी लाभ दे पायेगी या वित्त विभाग इस फैसले को अभी और लटकाये रखेगा यह सवाल भी उठने लगा है।